



Neutral Citation Number- 2026:AHC:37937

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5758/2026

आज़ाद उस्मानी

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: अदिति पांडे, रमेश कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: अरुण कुमार पांडे, सी.एस.सी.

न्याय कक्ष संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. ग्रामीणों द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक शिकायत की गई थी, और उक्त शिकायत के आधार पर उप-विभागीय अधिकारी, तहसील-चाँदपुर, ज़िला बिजनौर (प्रत्यर्थी संख्या-3) द्वारा थाना-प्रभारी, चाँदपुर, ज़िला-बिजनौर को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दरवाज़े बंद करने का निर्देश जारी किया गया। इसका मुख्य अंश इस प्रकार है :-

"अतः तहसीलदार चांदपुर की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त गाटा संख्या 176 की ओर खोले गये दरवाज़ों को बंद कराते हुए रास्ते को सुरक्षित कराना सुनिश्चित करें साथ ही मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। "

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. उपरोक्त याचिकाकर्ता के विरुद्ध व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है, तथापि यह आदेश याचिकाकर्ता को बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई अवसर प्रदान किए पारित किया गया है। उन्होंने रिट सी संख्या-26782/2023 में दिनांक 15.09.2023 को पारित निर्णय और आदेश के पैराग्राफ-43 पर भरोसा जताया, जो इस प्रकार है :-

"43. कानून का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत वैधानिक नियमों में अंतर्निहित होते हैं और उनका पालन किया जाना आवश्यक है, जब तक कि किसी वैधानिक प्रावधान द्वारा उन्हें स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा बाहर न कर दिया गया हो। शक्ति का ऐसा कोई भी प्रयोग जो किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। कार्रवाई करने वाला प्राधिकारी निष्पक्ष होना चाहिए और उसका किसी भी प्रकार का कोई हित या पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए; जहाँ उक्त प्राधिकारी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, वहाँ संबंधित प्राधिकारी को प्रभावित व्यक्ति को अपने मामले के समर्थन में सभी प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देना चाहिए और उसके समक्ष रखे गए उन सभी तथ्यों को उजागर करना चाहिए जिनके आधार पर उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप आधारित हैं; तथा उक्त प्राधिकारी किसी भी ऐसे तथ्य का उपयोग तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि उस पक्ष को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो जिसके विरुद्ध उसका उपयोग किया जाना है। प्राधिकारी को संबंधित पक्ष को अपने विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य/तथ्यों का खंडन करने का, तथा इसके अतिरिक्त, अपना स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने, उसकी व्याख्या करने और उसे प्रमाणित करने का अवसर अवश्य देना चाहिए।

4. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

5. अभिलेखों की जांच से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या-3, उप-विभागीय अधिकारी, तहसील-चांदपुर, जिला-बिजनौर द्वारा दिनांक 26.11.2025 को पारित आदेश के माध्यम से थाना-प्रभारी, पी. एस.-चांदपुर, जिला-बिजनौर को निर्देश दिया गया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। उक्त निर्देश

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, परंतु इसे याचिकाकर्ता को बिना कोई नोटिस और अवसर प्रदान किए ही पारित कर दिया गया है।

6. इस मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, और साथ ही न्याय के हित में, प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा दिनांक 26.12.2025 को पारित आदेश को रद्द किया जाना उचित है, और तदनुसार, उक्त आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

7. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

19 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”